

—एक सौ—

प्रेषक,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय
विश्वास कार्मशियल काम्प्लैक्स,
विश्वास खण्ड-3,
गोमती नगर, लखनऊ 226001

सेवा में,

- (1) एकजीक्यूटिव डायरेक्टर,
सिक्वोरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड आफ इन्डिया,
प्लॉट नम्बर सी-4/ए, जी ब्लॉक,
बान्द्रा कुर्ला कामप्लैक्स,
बान्द्रा ईस्ट, मुम्बई-400051
- (2) एकजीक्यूटिव डायरेक्टर,
नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लि०,
ट्रेड वर्ल्ड, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउन्ड,
सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई, 400013
- (3) एकजीक्यूटिव डायरेक्टर,
सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इन्डिया) लि०,
फिरोज जीजी भाई टावर, 28वां तल,
दलाल स्ट्रीट, मुम्बई-400023
- (4) एकजीक्यूटिव डायरेक्टर,
द बाम्बे स्टाक एक्सचेंज,
फिरोज जीजी भाई टावर,
दलाल स्ट्रीट, मुम्बई-400023
- (5) एकजीक्यूटिव डायरेक्टर,
नेशनल स्टाक एक्सचेंज,
प्लॉट नम्बर सी-1, जी ब्लॉक,
बान्द्रा कुर्ला कामप्लैक्स,
बान्द्रा ईस्ट, मुम्बई-400051

संख्या: 1677/शि०का०लख०/2006 दिनांक: 04 दिसम्बर, 2006

विषय: उत्तर प्रदेश में स्टाक एवं शेयर के कार्य करने वाली संस्थाओं से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1-ख के अनुच्छेद-43 नोट अथवा मैमोरैन्डम (ब्रोकर्स नोट) के अन्तर्गत विलेखों पर स्टाम्प शुल्क अदा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत हों कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-2 (14) में भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 38 सन् 2001) दिनांक 20 मई, 2002 से इन्स्ट्रूमेन्ट को निम्नवत परिभाषित किया गया है:-

"Instrument- includes every document and record created or maintained in or by an electronic storage and retrieval device or media by which any right or liability is, or purports to be created, transferred, limited, extended, extinguished or recorded."

उक्त अधिनियम की अनुसूची एक-बी के अनुच्छेद-43 के अन्तर्गत भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1988 प्रभावी दिनांक 01.09.1998 से-नोट अथवा मैमोरेण्डम (ब्रोकर्स नोट) पर स्टाम्प शुल्क की देयता निम्नवत है :-

Description of instrument	Proper stamp duty
43. Note or Memorandum sent by a Broker or Agent to his principal intimating the purchase or sale on account of such principal	
(a) of any goods exceeding in value two hundred rupees.	Ten rupees
(b) of any stock or marketable security exceeding in value twenty rupees ,	Subject to a maximum of Rs. 1000, ten rupees for every Rs. 20000 or part thereof of the value of the stock or securities.

उपरोक्त प्राविधानों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में ई-मेल से प्रेषित शेयर की बिक्री नोट इन्स्ट्रुमेंट की परिभाषा से आच्छादित होने के कारण कागज पर लिखित ब्रोकर्स नोट की भांति ई-मेल द्वारा प्रेषित ब्रोकर्स नोट पर अनुसूची-1-ख के अनुच्छेद-43 के अन्तर्गत प्रति बीस हजार रुपये अथवा उसके अंश पर दस रुपये (अधिकतम 1000 रु0) का स्टाम्प शुल्क देय होगा। देय स्टाम्प शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की गवर्नमेन्ट बिजनेस शाखाओं अथवा सम्बन्धित कोषागार अथवा उप कोषागार में हेड संख्या "0030 स्टाम्प एवं निबन्धन" में जमा किया जायेगा। यह भी सूच्य है कि उक्त स्टाम्प शुल्क शेयर की बिक्री नोट के निष्पादन अथवा उसके पूर्व देय होता है। साथ ही यह भी सूच्य है कि उपरोक्त अंकित ई-मेल भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1889 की धारा-8ए के अन्तर्गत दी गयी स्टाम्प शुल्क में छूट से आच्छादित नहीं है।

अतः अनुरोध है कि आपके नियन्त्रणाधीन उत्तर प्रदेश में कार्यरत स्टॉक एवं शेयर के कार्य करने वाली संस्थाओं से ई-मेल द्वारा स्टॉक अथवा शेयर की बिक्री की सूचना पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 के लेखाशीर्ष "0030 स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन" में अनुसूची-1-ख के अनुच्छेद-43 नोट अथवा मैमोरेण्डम (ब्रोकर्स नोट) के अनुसार स्टाम्प शुल्क की एकमुश्त अथवा अलग-अलग धनराशि अदा किये जाने हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन विभाग, सचिवालय, उत्तर प्रदेश शासन एवं अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0अस्पष्ट
(संजीव दूबे)
महानिरीक्षक निबन्धन,
उ0प्र0, शिविर लखनऊ।